भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4316
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति</u>

4316. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही स्वच्छ और गैर-जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): कॉप-26 में माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसरण में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर- जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 222.86 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिसमें से 102.57 गीगावाट सौर विद्युत, 48.59 गीगावाट पवन विद्युत, 11.45 गीगावाट जैव-विद्युत, 52.07 गीगावट जल विद्युत तथा 8.18 गीगावाट परमाणु विद्युत शामिल है। देश में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म विद्युत का हिस्सा वर्ष 2014 में 31.53 प्रतिशत से बढ़कर अब 47.37 प्रतिशत हो गया है।

(घ) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता के लक्ष्य को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4316 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (भाग-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
4. छोटे ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन, सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय से की गई है, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है।
7. हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी): नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली बनाने के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।
8. जैव-ऊर्जा कार्यक्रम:
   - अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम: शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा कार्यक्रम
   - बायोमास कार्यक्रम: ब्रिकेट्स और पेलेट्स के विनिर्माण के सहयोग करने और उद्योगों में बायोमास (गैर-बगास) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना।
   - बायोगैस कार्यक्रमः परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।
9. ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए), जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

*****